सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 538 राँची, मंगलवार, 2 जुलाई, 2019 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

---

संकल्प

27 जून, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-141/2017-3174 (HRMS)**-- श्री गिरिजा नंद किस्कू, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1550/गो०, दिनांक 01.12.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री किस्कू के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये हैं-

**आरोप सं०-1.** विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं०-2544 दिनांक 12.09.2017 द्वारा बाघमारा प्रखंड के दलुडीह पंचायत के मुखिया, श्रीमती सविता देवी के प्रतिनिधि श्री राजेश्वर प्रसाद मुंशी (पूर्व मुखिया) द्वारा साजिश पूर्वक योजनाओं की राशि की लूट करने संबंधी श्री संतोष कुमार, ग्राम-लाठाटांड, दलुडीह का परिवाद जाँच हेतु उप विकास आयुक्त, धनबाद को प्राप्त हुआ। उप विकास आयुक्त, धनबाद ने अपने पत्र सं०-1414 दिनांक 16.09.2017 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा से इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त जाँच के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी को दिनांक 19.09.2017 को राजेश्वर प्रसाद मुंशी से 50,000/- (पचास हजार) रू० रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद के धावादल द्वारा रंगे हाथ पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

**आरोप सं०-2.** बाघमारा प्रखंड के दलुडीह पंचायत की योजनाओं में बरती गई अनियमितता की जाँच हेतु उपायुक्त, धनबाद के आदेश ज्ञापांक-1438, दिनांक 22.09.2017 द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, धनबाद के नेतृत्व में छः सदस्यीय पदाधिकारी का दल गठित किया गया। अपर समाहर्त्ता, विधि-

व्यवस्था, धनबाद के पत्र संख्या-1230, दिनांक 26.09.2017 द्वारा प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कई योजनाओं में राशि की निकासी कर ली गयी है और संबंधित योजनाओं को एम०आई०एस० में पूर्ण दिखाया गया है, जबकि स्थल जाँच करने पर योजनाओं को अस्तित्वहीन पया गया। कुछ योजनाओं में राशि की आंशिक निकासी हुई है, जिसे एम०आई०एस० में प्रगति के अधीन दर्शाया गया, जबकि स्थलीय जाँचोपरांत पाया गया कि संबंधित योजनाओं में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। श्री राजेश्वर मुंशी संबंधित पंचायत के एक सामग्री आपूर्तिकर्त्ता के रूप में पंजीकृत है। मनरेगा के तहत वर्मी कम्पोस्ट की योजनाओं के लिये दिनांक 11.06.2017 से 30.06.2017 तक 10,00,000/- रूपये की सामग्री मद में निकासी की गयी है। इसके विरूद्ध श्री मुंशी द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी है। जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित है कि मनरेगा की योजना के लिये सामग्री की आपूर्ति हेतु 61,21,746/- रूपये का भुगतान किया गया है, जिसके विरूद्ध श्री मुंशी द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की गयी है। अन्य योजनाओं में भी बड़ी राशि का भुगतान किया गया है, जिसके विरूद्ध भी श्री मुंशी द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की गयी है। जाँचोपरांत यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को राजेश्वर प्रसाद मुंशी द्वारा घर पर बुलाकर पाॅश मशीन के माध्यम से उनकी राशि की निकासी कर ली गयी। समाचार पत्रों में इससे संबंधित समाचार के प्रकाशन के पश्चात् श्री मुंशी द्वारा राशि लौटायी गयी। कुछ योजनाओं में भुगतान की कार्रवाई की गयी है, परन्तु अभिलेख में अभिश्रव, मस्टर राॅल, मापी पुस्तिका आदि उपलब्ध नहीं है। यह सरकारी राशि के गबन से संबंधित मामला है। जाँच दल को स्थानीय मुखिया द्वारा लिखित बयान दिया गया कि उनके डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल उनके प्रतिनिधि राजेश्वर मुंशी द्वारा किया जाता था। श्री राधावल्लभ सहाय, पंचायत सचिव द्वारा लिखित बयान दिया गया कि उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर कभी प्राप्त नहीं कराया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बाघमारा के निदेश पर उनका डिजिटल हस्ताक्षर प्रखण्ड कार्यालय में रहता था तथा उसका उपयोग प्रखण्ड कार्यालय, बाघमारा में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री राजेश रवानी के माध्यम से कराया गया था। इस प्रकार मिलीभगत कर नियमानुसार अभिलेख का संधारण नहीं कर, निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन कर सरकारी राशि के गबन की नियत से कार्रवाई की गयी। अतः श्री किस्कू द्वारा-

(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी की हैसियत से सरकारी योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं कर कत्र्तव्यहीनता बरता गया।

(ख) सरकारी राशि की गबन की नीयत से पंचायत सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर को प्रखंड कार्यालय में रखकर उसका दुरूपयोग किया गया।

(ग) सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परन्तु श्री किस्कू द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-12333, दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री किस्कू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री किस्कू के पत्र, दिनांक 05.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री किस्कू द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-818, दिनांक 29.01.2018 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-284/गो0, दिनांक 07.03.2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री किस्कू के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1190(HRMS), दिनांक 01.08.2018 द्वारा श्री किस्कू के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-01, दिनांक 04.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त श्री किस्कू के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-2673, दिनांक 29.03.2019 द्वारा श्री किस्कू से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं विभागीय पत्रांक-4282, दिनांक 30.05.2019 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया। श्री किस्कू द्वारा अपने पत्र, दिनांक 24.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री किस्कू द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित किया गया कि-

"प्रखंड क्षेत्र के विस्तृत रहने (61 पंचायत) तथा तत्कालीन मुखिया तथा श्री राधा बल्लभ सहाय, पंचायत सचिव के मनरेगा सामग्री आपूर्तिकत्ता श्री राजेश्वर प्रसाद मुंशी के पूर्ण प्रभाव में रहने के चलते मेरे सम्यक पर्यवेक्षणीय प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया।"

श्री किस्कू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि श्री किस्कू का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री गिरजा नन्द किस्कू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है।

| **Sr No.** | **Employee Name**<br>**G.P.F. No.** | **Decision of the Competent authority** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | GIRIJANAND KISKU<br>JHK/JAS/273 | श्री गिरिजा नंद किस्कू, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 538 -- 50